



CCL

Fuelling Sustainable Growth

CENTRAL COALFIELDS LTD.

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम / कोल इंडिया लि. की एक अनुषंगी कंपनी)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, राँची 834 001 (झारखण्ड)

CIN : U10200JH1956GOI000581

अधिकारी स्थापना विभाग / Executive Establishment Deptt

फोन : (0651) 2360695 / Extn. 5144, ईमेल : gme.ccl@coalindia.in

वेबसाइट : www.centralcoalfields.in

सं. महाप्रबंधक(अधि-स्था)/प्रोन्नति/कार्मिक/ई7-ई8/24/ 7580

दिनांक: 30/08/2024

कार्यालय आदेश

सी.आई.एल., कोलकाता द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश संख्या CIL/C-5A(V)/DPC/E7toE8-23/Pers/B-702 दिनांक:-28/08/2024 के आलोक में निम्नलिखित **मुख्यप्रबन्धक (कार्मिक)/ ई7 ग्रेड** की पदोन्नति **महाप्रबन्धक (कार्मिक)/ ई8 ग्रेड** (वेतनमान रु.1,20,000-2,80,000) के पद पर तत्काल प्रभाव से की जाती है एवं उन्हें अपने वर्तमान पदस्थापित स्थान पर (जो उनके नाम के सामने दर्शायी गई है) पर योगदान देने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

Sl. No.	EIS No	Name (Smt/Sri)	Place of Posting
1.	90168337	Rekha Pandey	Welfare Deptt., CCL HQ
2.	90104191	Jobi V.P	Legal Deptt., CCL HQ
3.	90168303	Pratul Kumar	Dhori Area
4.	90153248	Kavita Gupta	Manapower/Samadhan Deptt., CCL HQ
5.	90168386	Rajiv Ranjan Sharma	Social Security Deptt., CCL HQ
6.	90168329	Navnit Kumar	P&IR/ Recruitment Deptt., CCL HQ
7.	90168592	Ashok Kumar	D(P) Sectt., CCL HQ

पदोन्नति उपरांत उपरोक्त अधिकारी एक वर्ष की अवधि या सेवानिवृत्ति तक, जो भी पहले हो, परिवीक्षा पर रहेंगे। उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति उनके द्वारा प्रोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

क्रम संख्या 03 के अधिकारी को छोड़कर अन्य सभी अधिकारी **निदेशक (कार्मिक)** सीसीएल को आगे के कार्यभार के लिए रिपोर्ट करेंगे। क्रम संख्या 03 के अधिकारी आगे के कार्यभार के लिए **महाप्रबंधक(ढोरी)** को रिपोर्ट करेंगे।

संबन्धित अधिकारियों को आदेश जारी करने की तारीख से **तीस(30) दिनों** के भीतर पदोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करना है अन्यथा यह पदोन्नति आदेश रद्द हो जायेगा।

कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिनों में APAR भरना संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

This order shall abide by the ultimate adjudication in the Writ Petition nos.19607(W) of 2017 with no. 9754 (W) of 2017 (Bani Singh Rana & Ors. with Pijush Kumar Singha & Ors. vs CIL & Ors.) before the Hon'ble High Court of Calcutta.

यह आदेश सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति उपरांत जारी किया जाता है।

(अभिराज शेखर)

प्रबंधक (कार्मिक - अधि. स्था.)

वितरण ई ऑफिस द्वारा :

1. निदेशक (वित्त) / निदेशक (कार्मिक) / निदेशक (परियोजना एवं योजना) / निदेशक (तकनीकी/ संचालन) /, सीसीएल, रांची।
2. सीएमडी के तकनीकी सचिव, सीसीएल, रांची।
3. महाप्रबंधक (सतर्कता) / (अधि. स्था.) / (एचआरडी) / (प्रणाली) / (वित्त), सीसीएल, रांची।
4. महाप्रबंधक (ढोरी) क्षेत्र सीसीएल।
5. निदेशक कार्मिक के तकनीकी सचिव, सीसीएल, रांची।
6. उप महाप्रबंधक (कार्मिक - अधि. स्था.), सीआईएल, कोलकाता।
7. विभागाध्यक्ष, (कल्याण) / (सामाजिक सुरक्षा) / (श्रमशक्ति/समाधान) / (भर्ती) / (प्रशासन), (कार्मिक एवं औ.संबंध) / (कर्म.स्था) / (विधि), सीसीएल, रांची।
8. मुख्य प्रबंधक/ प्रबन्धक (वित्त - ईपीआर) / (स्था.), सीसीएल, रांची।
9. अमला अधिकारी (कार्मिक) / क्षेत्रीय वित्त प्रबन्धक (ढोरी) क्षेत्र, सीसीएल
10. प्रबन्धक/ उप प्रबंधक (कार्मिक - अधि. स्था.) /, सीसीएल, रांची - आवश्यक अद्यतनीकरण हेतु।
11. उप प्रबंधक (वित्त - सीएमपीएफ), सीसीएल, रांची।
12. सहायक प्रबंधक (कार्मिक - अधि. स्था./सीआर), सीसीएल, रांची - कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
13. संबंधित अधिकारी।